

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3989 का उत्तर

झांसी-माणिकपुर रेल लाईन का दोहरीकरण/विद्युतीकरण

3989. श्री आर. के. सिंह पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत झांसी-माणिकपुर वाया बांदा-चित्रकूट धाम कारवी रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना कार्य प्रगति पर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा क्या है; और
- (घ) उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

झांसी-माणिकपुर रेल लाईन का दोहरीकरण/विद्युतीकरण के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री आर. के. सिंह पटेल के अतारांकित प्रश्न सं. 3989 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): झांसी - मानिकपुर और खैरार-भीमसेन (कानपुर) 411 कि.मी. के दोहरीकरण और महोबा तथा खैरार (14 कि.मी.) पर कोड लाइन का कार्य अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के अध्यक्षीन बजट 2016-17 में शामिल किया गया था। अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद मार्च 2018 में 4329.53 करोड़ रुपए की लागत पर परियोजना स्वीकृत की गई और बरवासागर-मौरानीपुर (42.38 कि.मी.) और हरपालपुर-महोबा (52.84 कि.मी.) खंडों में निर्माण कार्य के लिए एजेंसियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ग) और (घ): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग , विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन के समय और लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंततः कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक समूची भूमि अधिगृहित करके रेलवे को सौंपी नहीं गई है, इसलिए इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-समय इस समय निर्धारित नहीं की गयी है।

समग्र राष्ट्र के हित में और लागत में वृद्धि हुए बिना परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर एवं बोर्ड स्तर) पर निगरानी की जाती है तथा राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों का समाधान किया जा सके।

परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने ठेकों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन अवधारणा अपनाई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में और तेजी आएगी।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।
